GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

E-mail: elementaryps@gmail.com - Site: www.harprathmik.gov.in

सेवा में

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
हरियाणा राज्य।

यादी क्रमांक 33/2-2026 PS (E-2)
दिनांक पंचकूला 04.08.2026

विषयः **शैक्षणिक सत्र 2026–27 के अंतर्गत आर0टी0ई0 अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत सीट घोषणा न करने/दस्तावेज सत्यापन के दौरान अस्वीकृत एवं वर्ष–दर–वर्ष मान्यता श्रेणी के विद्यालयों पर दंडात्मक कार्यवाही एवं MIS पोर्टल खोलने के संबंध में सूचि भेजने बारे।**

****

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि हरियाणा RTE नियमावली, 2011 (यथा संशोधित 2022) के नियम 13(1)(c) तथा नियम 13(3) के अंतर्गत निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर जुर्माना लगाने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है।

जिन विद्यालयों के MIS पोर्टल बंद कर दिए गए हैं, उनके विरुद्ध निम्नानुसार वर्गीकरण कर अविलंब कार्यवाही की जानी हैः–

1. **₹6,000/– तक प्रवेश–स्तरीय शुल्क वाले निजि मान्यता विद्यालयों पर कार्यवाही सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी।**
   - **कार्यवाई का प्रारूप** जिन विद्यालयों का प्रवेश–स्तरीय शुल्क (Entry Level Fee) ₹6,000/– प्रतिमाह प्रति छात्र तक है, उनके विरुद्ध नियम 13(1)(c) के तहत जिला स्तर पर ₹1,00,000/– (एक लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी।
   - **प्रक्रियाः** जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्वयं स्वविवेक से नियम 13 के तहत निर्धारित प्रक्रिया (कारण बताओ नोटिस जारी करना, 15 दिन का समय देना तथा नैसर्गिक न्याय का पालन करना") अपनाकर जुर्माना लगाने हेतु पूर्णतः सक्षम हैं।
   - **अपेक्षित कार्यः** अपने स्तर पर जुर्माना लगाने के उपरांत, लगाए गए जुर्माने की अंतिम स्वीकृति/अनुमोदन हेतु आप निजि मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची तैयार कर निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

2. **₹6,001/– या उससे अधिक प्रवेश–स्तरीय शुल्क (Entry Level Fee) वाले विद्यालयों पर कार्यवाही (निदेशालय स्तर पर की जाएगी)**

   - **प्रक्रियाः** जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ऐसे सभी मान्यता विद्यालयों की विस्तृत सूची एवं पूर्ण विवरण तैयार कर सीधे निदेशालय को प्रेषित करें, ताकि निदेशक स्तर पर व्यक्तिगत सुनवाई (Personal Hearing) के बाद नियमानुसार अंतिम निर्णय लिया जा सके। इसके सन्दर्भ में आप निजि मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची तैयार कर निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

3. **अल्पसंख्यक/ CWSN / डे–बोर्डिंग/ प्राथमिक विंग रहित विद्यालय (छूट श्रेणी)**

   छूटः ऐसे निजी विद्यालय जो "अल्पसंख्यक श्रेणी (Minority) में आते है/CWSN (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संचालित विद्यालय इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जिनमें प्राथमिक विंग (Entry Level Class) संचालित नहीं है, वे RTE के अंतर्गत Seat Declaration के दायित्व में नहीं आते हैं।

इन विद्यालयों को किसी भी दंडात्मक कार्यवाही/जुर्माना श्रेणी में शामिल न किया जाए। ऐसे विद्यालयों की एक पृथक सूची (Separate List) संबंधित दस्तावेजों सहित तैयार करेंगे और उन्हें MIS खोलने की श्रेणी में अंकित करते हुए ऐसे निजि मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची तैयार कर निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिंदु (1), (2) एवं (3) के अनुसार अपने–2 जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त निजि मान्यता विद्यालयों की सूची एवं संकलित रिपोर्ट अविलंब एवं प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित प्रारूप में Excel शीट सहित हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी, दोनों रूपों में, (स्कूल का नाम, पता एम0आई0एस0 कोड अंकित करते हुए) निदेशालय में अपने–2 जिले के सम्बन्धित सहायक/लिपिक द्वारा दस्ती निदेशालय भेजना सुनिश्चित करें।

सहायक निदेशक (पी0एस0)
कृते निदेशक, मौलिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला।

C:\Users\Neeraj\Downloads\202666.doc